Do IT
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Information Technology & Communication

क्रमांकः एफ 5(610)/सूप्रौ/तकनीकी/12/01677/2021 दिनांक : 31/03/2021

जिला कलक्टर
समस्त।

विषय :– आधार केन्द्रों की स्थापना एवं ऑपरेटर चयन हेतु नवीन दिशा निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य में आधार केन्द्रों की स्थापना एवं ऑपरेटर चयन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी बनाने एवं जिला प्रशासन के नियंत्रण, पर्यवेक्षण में ही समस्त कार्यवाही सम्पादित किये जाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा यह नवीन दिशा निर्देश जारी किये जा रहे है। यह निर्देश दिनांक 01.04.2021 से प्रभावी होंगे। उक्त दिनांक के बाद निर्देशों मे विहित प्रक्रिया के तहत ही समस्त प्रस्ताव जिला स्तर से विभाग को प्रेषित किये जायें। वर्तमान में राज्य में 5 हजार से अधिक आधार केन्द्र संचालित हैं और इनमें से 3 हजार से अधिक केन्द्र सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (रजिस्ट्रार) के अधीन है। उपरोक्त निर्देशों की क्रियान्वति निम्नानुसार की जानी है :–

1) जिला स्तरीय कमेटी का गठन
2) कमेटी द्वारा केन्द्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थान का चयन व संख्या निर्धारण
3) सार्वजनिक सूचना जारी किया जाना
4) आवेदन आमंत्रित किया जाना
5) ऑपरेटर का चयन
6) चयनित ऑपरेटर के ऑनबोर्डिंग आवेदन प्राप्त कर EA (राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर) को प्रेषित करना

आशा है नवीन दिशा निर्देशों के द्वारा जिला स्तर पर नामांकन व अद्यतन गतिविधियां प्रभावी रूप से सम्पादित हो सकेंगी और यह कार्य जिला प्रशासन के नियंत्रण एवं पयेवेक्षण में सुचारू रूप में संचालित हो सकेगा।

संलग्न – नवीन दिशा निर्देश (पृष्ठ–3)

(विरेन्द्र सिंह)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपिः–
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक(तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर
4. तकनीकी निदेशक/अतिरिक्त निदेशक.....।
5. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी (यूआईडी)

IT Building, Yojana Bhawan Campus, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
Ph: 0141-2224855, Fax : 0141-2222011
Website: http://www.doitc.rajasthan.gov.in

Scanned by CamScanner

आधार नामांकन/अद्यतन केन्द्र स्थापना व ऑपरेटर चयन/नियुक्ति हेतु नवीन दिशा–निर्देश

1. राज्य में यूआईडीएआई नई दिल्ली द्वारा आधार नामांकन एवं अद्यतन गतिविधियों हेतु सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान सरकार के अतिरिक्त बीएसएनएल, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, बैंक, नवोदय विद्यालय, आधार सेवा केन्द्रों (यूआईडीएआई), प्राथमिक शिक्षा विभाग, निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, सीएचसी को भी रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। राज्य में 18 वर्ष से अधिक की जनसंख्या आधार नामांकन की दृष्टि से परिपूर्ण (saturate) हो चुकी है। 0 से 05 व 05 से 18 वर्ष की लगभग 1.0 करोड़ जनसंख्या का आधार नामांकन परिपूर्ण होना शेष है।

2. माह फरवरी, 2021 की स्थिति अनुसार राज्य की 90 प्रतिशत जनसंख्या आधार कार्ड हेतु नामांकन करा चुकी है। इस प्रकार हर एक लाख की जनसंख्या पर 10 हजार निवासी आधार नामांकन से शेष है। इस शेष रही जनसंख्या में 0–18 आयु वर्ग की संख्या ही प्रमुख है। 0–5 वर्ष के आयु वर्ग का नामांकन बायोमैट्रिक सूचना नहीं लिये जाने के कारण टेबलेट के माध्यम से कैम्प मोड में अधिक सहजता व सुगमता से किया जा सकता है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राज्य के हर जिले के पंचायत समिति मुख्यालय एवं नगर निकाय क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार आधार नामांकन एवं अद्यतन केन्द्र रजिस्ट्रार, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अधीन स्थापित किया जाना अपेक्षित है। यह केन्द्र बैंक शाखाओं, पोस्ट ऑफिस एवं अन्य रजिस्ट्रारों के अधीन संचालित आधार नामांकन एवं अद्यतन केन्द्रों के अतिरिक्त होंगे।

3. आधार केन्द्र सरकारी परिसर में ही संचालित किये जाएंगे। ऐसे परिसर जहाँ राजनेट/राजस्वान की कनेक्टिविटी उपलब्ध है उन्ही स्थानों का प्राथमिकता से केन्द्र स्थापना हेतु चयन किया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समिति कार्यालय, तहसील/उपखण्ड कार्यालय अथवा किसी अन्य विभाग के सरकारी कार्यालय और नगरीय क्षेत्रों में जिलाधीश कार्यालय, उपखण्ड/तहसील कार्यालय, नगर पालिका, नगर परिषद्/नगर निगम कार्यालय, अन्य विभागों के कार्यालयों के परिसर का आधार केन्द्र स्थापना हेतु चयन किया जा सकता है। चयन का आधार कार्यालय में स्थान की उपलब्धता, कार्यालय तक सहज पहुँच, कनेक्टिविटी आदि रहेंगे। यथासंभव आधार केन्द्र के लिए फर्नीचर, बिजली आदि की व्यवस्था संबंधित कार्यालय द्वारा की जायेगी।

4. जिले में आधार केन्द्र स्थापित करने हेतु उपयुक्त स्थल चयन व ऑपरेटर चयन की प्रक्रिया जिला कलक्टर के निर्देशन में सम्पन्न की जायेगी। इस कार्य हेतु जिला कलक्टर तीन सदस्यीय कमेटी गठित करेंगे जो निम्नानुसार होगी :–
   (1) अतिरिक्त जिला कलक्टर :– अध्यक्ष
   (2) कलक्टर द्वारा मनोनीत अधिकारी :– सदस्य
   (3) अतिरिक्त निदेशक/सिस्टम एनालिस्ट/एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर :– सदस्य सचिव

5. यह कमेटी आधार केन्द्र स्थापना हेतु जिले में सर्वप्रथम उचित स्थान चिन्हित करेगी, आवश्यकताओं का आकलन कर केन्द्रों की संख्या निर्धारित करेगी व इन केन्द्रों हेतु स्थानवार उपयुक्त ऑपरेटर का चयन करेगी। ऑपरेटर चयन करने के लिए कमेटी चिन्हित स्थानों की सूचना सहित सार्वजनिक नोटिस जारी कर आवेदन आमन्त्रित करेंगी। यह नोटिस सभी प्रमुख

Scanned by CamScanner

सरकारी कार्यालयों पर चस्पा किया जायेगा व स्थानीय समाचार पत्रों में इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जाए। जिले का कोई भी निवासी जो यूआईडीएआई की अधिकृत प्रमाणीकर्ता एजेन्सी द्वारा जारी आधार सुपरवाईजर/ऑपरेटर प्रमाण पत्र धारक है, आवेदन करने का पात्र होगा। जिस ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र के केन्द्र हेतु ऑपरेटर का चयन होना है वहीं के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी। किसी एक केन्द्र के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर कमेटी योग्यता व अनुभव के आधार पर उपयुक्त व्यक्ति का चयन करेंगी। किसी भी विवाद की स्थिति में जिला कलक्टर का निर्णय अंतिम रहेगा।

6. आधार केन्द्र का संचालन समस्त कार्य दिवसों पर 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक किया जायेगा। ऑपरेटर को स्वंय केन्द्र पर उपस्थित रहकर, विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क प्राप्त करके नामांकन एवं अद्यतन सेवाएं प्रतिदिन प्रदान करनी होगी। आधार नामांकन एवं अद्यतन हेतु आवश्यक किट की व्यवस्था ऑपरेटर को अपने स्तर पर ही करनी होगी। विशेष परिस्थितियों में ऑपरेटर की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत कमेटी जिले में उपलब्ध किट ऑपरेटर को पूर्व निर्धारित मासिक शुल्क (रूपए 03 प्रति नामांकन) की एवज में प्रदत्त कर सकेगी। ऑपरेटर का चयन एक बारगी एक वर्ष के लिए ही किया जायेगा और उक्त अवधि समाप्त होने के बाद ऑपरेटर के कार्यप्रणाली, व्यवहार एवं प्रदर्शन को देखते हुए कमेटी अवधि को आगामी एक वर्ष के लिए बढा सकेगी। ऑपेरटर के विरुद्ध अनियमितता, अधिक शुल्क वसूली, दुर्व्यवहार की शिकायत प्राप्त होने पर बाद जॉच ऑपरेटर को जिला कलक्टर द्वारा तुरन्त प्रभाव से कभी भी डिएक्टिवेट/ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।

7. जिले के चयनित ऑपरेटर को यूआईडीएआई से ऑनबोर्ड/एक्टिवेट कराने हेतु जिले के सिस्टम एनालिस्ट/एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर निर्धारित प्रपत्र में **ऑनलाईन आवेदन** प्राप्त कर उसे बाद जॉच व अनुमोदन EA (RISL) को अग्रेषित करेंगे और EA द्वारा यह आवेदन यूआईडीएआई को भिजवाया जायेगा। ऑपरेटर के ऑनबोर्ड व एक्टिवेट हो जाने के बाद जिले के उपखण्ड़ अधिकारी, तहसीलदार, एसीपी, प्रोग्रामर समय–समय पर इन केन्द्रों का अपने–अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करेंगे।

8. स्थायी आधार केन्द्रों के अतिरिक्त 0 से 5 साल के बच्चों के नामांकन हेतु टेबलेट (CELC) के माध्यम से नामांकन की कार्यवाही की जानी है। प्रत्येक जिले में एसीपी के पास यह टेबलेट उपलब्ध है। राज्य में मुख्यतः 0 से 18 वर्ष की जनसंख्या का नामांकन प्रतिशत कम होने से इसी लक्षित समुह के नामांकन पर विशेष बल दिया जाना है। यह कार्य स्थायी केन्द्रों पर भी किया जा सकता है परन्तु स्थायी केन्द्रों की अपेक्षा यह कार्य कैम्प मोड में किये जाने से अच्छी प्रगति आना संभावित होने से टेबलेट के माध्यम से ऑपरेटर उपयुक्त स्थानों पर कैम्प आयोजित कर बेहतर लक्ष्य अर्जित कर सकेंगे। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय कमेटी प्रत्येक ग्रामीण एव नगरीय क्षेत्र में हर 25000 की जनसंख्या हेतु एक CELC ऑपरेटर का चयन करेंगी। चयन की प्रक्रिया स्थायी केन्द्र के ऑपरेटर के समान ही रहेंगी। CELC ऑपरेटर के लिए महिला ऑपरेटर को प्राथमिकता दी जाये।

9. ऑपरेटर के यूआईडीएआई द्वारा ऑनबोर्ड/एक्टिवेट हो जाने के बाद और किट/टेबलेट प्रदत्त किये जाने से पूर्व जिला सिस्टम एनालिस्ट/एसीपी द्वारा उक्त ऑपरेटर से एक अनुबंध किया जायेगा और ऑपरेटर से 10000 रूपये सिक्योरिटी राशि जमा (जिला स्तर पर संचालित राजकॉम्प

Scanned by CamScanner

के खाते में) की जायेगी। ऑपरेटर यदि कार्य बंद कर देगा या किन्ही कारणों से कार्य नहीं करना चाहता तो टेबलेट/किट जमा होने के बाद यह राशि उसे लौटा दी जायेगी। यदि टेबलेट/किट को किसी प्रकार की क्षति पहुचती है तो यह राशि जब्त कर ली जायेगी। अनुबंध में यह स्पष्ट अंकित रहेगा कि किसी भी अनियमितता या त्रुटि के फलस्वरूप ऑपरेटर पर लगाई गई पेनल्टी की वसूली ऑपरेटर से ही की जाएगी और वह अपने कृत्यो के लिए स्वयं जिम्मेदार रहेगा। केन्द्र स्थापना के लिए ऑपरेटर को अधिकृत किये जाने से पूर्व ऑपरेटर के संबंध में दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों की गारंटी भी ली जाएगी।

10. यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार नागरिको से आधार नामांकन का कोई शुल्क नही लिया जाता है और सभी प्रकार के नामांकन (अनिवार्य बॉयोमेट्रिक अद्यतन सहित) नागरिको के लिए निशुल्क है। प्रत्येक सफल नामांकन की एवज में यूआईडीएआई द्वारा रजिस्ट्रार को वित्तीय सहायता की राशि प्रदत्त की जाती है। ऑपरेटर व रजिस्ट्रार/ईए के मध्य कुल प्राप्त 50 रूपये के शुल्क का विभाजन 45 रूपये ऑपरेटर व 5 रूपये रजिस्ट्रार/ईए के अनुसार किया जाएगा। प्रत्येक अद्यतन हेतु ऑपरेटर द्वारा नागरिक से निर्धारित शुल्क (वर्तमान में 50 रू, बायोमैट्रिक हेतु 100 रू.) वसूल किया जाता है। यह राशि ऑपरेटर के पास ही रहती है। किसी भी ऑपरेटर को विभाग द्वारा कोई मानदेय/पारिश्रमिक देय नही होगा।

11. राज्य के प्रत्येक जिले में वर्तमान में स्थायी आधार केन्द्र एवं CELC ऑपरेटर कार्यरत है और यह ऑपरेटर यूआईडीएआई द्वारा अधिकृत व अनुमोदित है। इनमें से स्थायी केन्द्रों के कुछ ऑपरेटर के पास विभाग द्वारा प्रदत्त किट भी है व समस्त CELC ऑपरेटर के पास विभाग द्वारा प्रदत्त टेबलेट है। जिला स्तरीय कमेटी आवश्यकता एवं मापदण्ड अनुसार पूर्व में कार्यरत इन ऑपरेटरो का भी निर्देशानुसार चयन कर सकती है। जिन ऑपरेटर का चयन नही होता है उनसे किट व टेबलेट वापस ले लिए जाए।

12. उपरोक्त निर्देशों की क्रियान्वति निम्न समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित किया जाए :–

1) जिला स्तरीय कमेटी का गठन :– निर्देश जारी होने के 03 दिवस में
2) कमेटी द्वारा केन्द्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थान का चयन व संख्या निर्धारण :– कमेटी गठन के 07 दिवस में
3) सार्वजनिक सूचना जारी किया जाना :– कमेटी गठन के 12 दिवस में
4) आवेदन आमंत्रित किया जाना :– सार्वजनिक सूचना के 07 दिवस तक
5) ऑपरेटर का चयन :– आवेदन प्राप्ति के बाद 07 दिवस में
6) चयनित ऑपरेटर के ऑनबोर्डिंग आवेदन प्राप्त कर EA को प्रेषित करना :– चयन के 07 दिवस में

विशेष :– यह पॉलिसी जारी होने की दिनांक से ही प्रभावी मानी जायेगी और पूर्व के जो ऑपरेटर कार्यरत है वह यथावत कार्य करते रहेगें। यदि पूर्व कार्यरत ऑपरेटर किसी कारणवश कार्य करना बंद कर देते है तो उनके स्थान नये ऑपरेटर का चयन नई प्रक्रिया से ही किया जायेगा।

Scanned by CamScanner